



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज०/04/23/2018/एफ.सी./ 353

दिनांक: 16.08.2018

सेवा में,

शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. FP/RJ/TRANS/32877/2018

विषय: Diversion of 10.5324 ha. of forest land for 765 K.V. D/C Banas Kantha-Chittorgarh Transmission Line in favour of PGCIL District Udaipur.

सन्दर्भ- क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक- 13.08.2018 की कार्यवाही (REC Agenda item 31.8-RAJ)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान शासन का पत्रांक- प01(39)वन/2018, दिनांक-14.06.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण को दिनांक-13.08.2018 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 31.8-RAJ) शामिल किया गया था, बैठक में प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की गयी है। क्षेत्रीय सशक्त समिति की स्वीकृति उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 10.5324 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 1355 वृक्षों एवं पोल्स की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने अवनत वनभूमि (10.5234.x2=21.0648 ha.) अर्थात् 21.0648 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

Handwritten signature and date
16/8/18

5. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
9. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र- 11-306/2014-एफ0सी0(pt.), दिनांक- 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी, वन्यजीव संरक्षण योजना, बौने औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद् में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या एवं वांछित वचनवद्धता प्रमाण पत्र (अण्डरटेकिंग) इस कार्यालय को प्राप्त होने के उपरान्त ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।


भवदीय,



(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, उदयपुर, राजस्थान।
3. उप महा प्रबंधक, 765/400 के.वी. उपकेन्द्र, एन.एच.-76, नारायणपुरा टोल प्लाजा के पास, 56-के.एम. स्टोन, चिन्तौड़गढ़-उदयपुर।
4. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।



(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)